न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 435/2016
दर्ज दिनांकः 14/09/2016
निर्णय दिनांक : 09/11/2017

राधाकिशन पुत्र रामकुंवार जाति जाट, निवासीः ग्राम सरस्वतीपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

......प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र श्रीबक्स
2. रामनारायण पुत्र श्रीबक्स
3. हरिनारायण पुत्र श्रीबक्स
4. रामचन्द्र पुत्र श्रीबक्स

   समस्त जाति जाट, निवासीः ग्राम सरस्वतीपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

5. सुनिता देवी पत्नि चिरंजीलाल जाति खटीक, निवासीः ग्राम पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. हीरा पत्नि रामकरण जाति जाट निवासीः ग्राम सरस्वतीपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. गोपीलाल पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासीः ग्राम सरस्वतीपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
9. तहसीलदार फागी/उपतहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.......अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी

<u>प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने तरमीम व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 9/2 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम सरस्वतीपुरा, पटवार हल्का सेदरिया भू.अभि.नि. क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसका वादी खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज होकर सरकारी लगान अदा करता आ रहा है। आराजी का मूल नंबर 9 है जो वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट में 38 बीघा 09 बिस्वा का नंबर था तथा उक्त मूल नंबर में से आवंटन होने के बाद वादी को अपना हिस्सा आराजी खसरा नंबर 9/2 होकर प्राप्त हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज को आवंटन से 9/3 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा मिला जिस पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 काबिज काश्त है। खसरा नंबर 9/5 रकबा 08 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 06 को मिला तथा आराजी खसरा नंबर 9/6 रकबा 05 बीघा प्रतिवादी संख्या 7 को प्राप्त हुआ तथा आराजी खसरा नंबर 9/4 रकबा 10 बीघा केसर लाल पुत्र नाथू को आवंटन हुआ था जो कभी उक्त आराजी पर काश्त नहीं करने के बावजूद नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 11/02/2013 के द्वारा गैर खातेदार से खातेदार स्वीकार हुआ तत्पश्चात ही प्रतिवादी संख्या 05 को उक्त भूमि बेचान कर दिया था तथा आराजी खसरा नंबर 9/1 राजस्थान सरकार सिवाईचक 12 बिस्वा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी अपने आवंटन होने के समय से मौके पर कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त चला आ रहा है जिसमे आज से पूर्व मौके पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं की गई है तथा आराजी का आवंटन के समय से मौके व कब्जे अनुसार नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है। मूल खसरा नंबर 9 रकबा 38 बीघा 09 बिस्वा का था जो काफी बडा रकबा था राज्य सरकार द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार उक्त आराजी के राजस्व जमाबंदी में बंटा नंबर कर आवंटित खातेदारो में भूमि विभाजन कर दी लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियो की गलती से मौका कब्जा अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम नहीं की गई जिस कारण आये दिन मेर कोर को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद होता रहता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रतिवादीगण ने बंटवारा होने पर आराजी का खसरा नंबर 9/1 लगायत 9/6 में मौके अनुसार कब्जा प्राप्त कर रखा है लेकिन बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड के नक्शे में पटवार हल्का ने वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि अनुसार तरमीम नहीं कर रखी है जिससे मेर को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण में वाद विवाद उत्पन्न होता रहता है। आराजी खसरा नंबर 9/2 का बंटवारा अनुसार वादी का हिस्सा जो रोड के लगवा काबिज काश्त है के हिस्से में आई भूमि जो कि अविकसित थी, को काफी पैसा व श्रम खर्च कर उसे उन्नत व उपजाऊ बनाया जिस पर वादी काबिज काश्त है जिससे अप्रार्थी संख्या 5 जिसने हाल ही में मूल आवंटित व्यक्ति केसर लाल पुत्र नाथू जो उक्त आराजी पर कभी काश्त नहीं करने के बावजूद पटवारी हल्का से मिलीभगत कर तहसीलदार से खातेदारी अधिकार दिलवाया जाकर क्रय कर ली है तथा मौके पर वादी की वर्षो से कब्जेकाश्त भूमि जो रोड के लगवा काबिज काश्त है को अपनी बताकर प्रतिवादी संख्या 05 राजकर्मचारियो से साज कर नक्शा लट्ठे में तरमीम नहीं होने का नाजायज फायदा उठाते हुये वादी से आये दिन वाद विवाद करता है तथा वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है जबकि प्रतिवादी संख्या 05 व उसके मूल आवंटी का कभी मौके पर कब्जेकाश्त नहीं रहा है ना ही वर्तमान में है फिर भी वादी के हिस्से में आई भूमि को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिस पर कब्जा करने पर आमादा है। वादी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होने के फलस्वरूप तहसीलदार माधोराजपुरा ने दिनांक 13/07/2010 को वादी को नोटिस दिया गया जिससे वादी को पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार माधोराजपुरा से साज कर वादी के हिस्से की भूमि जो रोड के लगवा प्राप्त हुई थी उसको अपनी बताकर कब्जा कर दीगर व्यक्तियो को बेचान करना चाहता है इसलिये वादी द्वारा वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 09/08/2010 को वादी अपनी भूमि पर काश्त कर रहा था तभी प्रतिवादी संख्या 5 कुछ अजनबी लोगो के साथ मौके पर आया और वादी की भूमि जो कि रोड के लगवा काबिज काश्त को अपनी बताकर बेचान की बातचीत करने लगे वादी द्वारा मना करने पर आग बबूला हो गया और धमकी दी कि एससी/एसटी का

मुकदमा लगवाकर तथा 183 बी की कार्यवाही कर अपनी मनचाही जगह कब्जा प्राप्त करूंगा क्योकि राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होने से हम लोग तेरी आराजी का बेचान कर कब्जे से बेदखल कर देगे। इसलिये न्यायालय के समक्ष किये जाने तरमीम व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी भूमि को अपनी बताकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर बेचान कर वादी को उसके कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का नक्शा ट्रेस/नक्शा लट्ठा में तरमीम मुताबिक बंटवारा व कब्जे अनुसार करने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। पत्रावली कैम्प कोर्ट दौसरा में प्रस्तुत हुई। समस्त पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान को सुना गया। बाद मनन तहसीलदार फागी को हल्का पटवारी सहित मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जा काश्त व पहुंच रास्ता सुनिश्चित करते हुये नक्शे कुरैजात प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्रस्तुत हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील पक्षकारान ने मुताबिक नक्शे कुरैजात प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में सहमति प्रकट की।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2017, नजरी नक्शा कुरैजात इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि पक्षकारान के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

चूंकि वकील पक्षकारान ने मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2017 मय नजरी नक्शे कुरैजात अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में

अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2017 मय नजरी नक्शे कुरैजात अनुसार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी